शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001
TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /63/A-6/अका./कार्यपरिषद/2024 जगदलपुर, दिनांक 05/02/2024

कार्यवृत्त
कार्यपरिषद की 50वीं बैठक
दिनांक 05.02.2024

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 50वीं बैठक दिनांक 05.02.2024 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2. श्री कमलेश रायस्त, संभागीय संयुक्त संचालक,	सदस्य
3. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य
4. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य	सदस्य
5. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य	सदस्य
6. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य,	सदस्य
7. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य	सदस्य
8. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय	सदस्य
9. डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक	सदस्य
10. श्री अभिषेक कुमार बाजपेयी, कुलसचिव	पदेन सचिव

विषय क्रमांक–1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 48वीं एवं 49वीं बैठक (आपात) दिनांक 20.09.2023 एवं 05.10.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः कार्यपरिषद की 48वीं एवं 48वीं बैठक (आपात) के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की 48वीं एवं 49वीं बैठक (आपात) दिनांक 20.09.2023 एवं 05.10.2023 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 02.02.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–4 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न भवन निर्माण संबंधी कार्यों की सतत निगरानी तथा कार्यों में उत्कृष्टता हेतु Additional Statute No. -3 (1) (5) Two members nominated by the Executive Council not nesessary from amongst themselves. के अनुसार नामित भवन समिति के सदस्य डॉ. अशोक दुबे, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जगदलपुर के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामित करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णयः डॉ. अशोक दुबे, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जगदलपुर के स्थान पर डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य एवं कार्यपरिषद सदस्य, शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल को भवन समिति का सदस्य नामित किया गया।

विषय क्रमांक–5 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 की उपधारा (VI) के द्वारा निर्मित अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा (vi) के प्रावधान के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2023–24 के विभिन्न परीक्षाओं के आने वाले नकल प्रकरण का निराकरण करने हेतु UFM कमेटी का गठन करने पर विचार।

निर्णयः UFM कमेटी का गठन करने हेतु कुलपति को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया है।

विषय क्रमांक–6 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अध्ययनशालाओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में दिनांक 09.09.2023 से 15.01.2024 तक आवेदक छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन के संबंध में अनुबंधित फर्म एम.आई.सी.एस. भोपाल द्वारा प्रस्तुत देयक अनुसार जी.एस.टी. सहित राशि रू. 72,163/– भुगतान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–7 (विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

14 शोधार्थियों के मौखिक परीक्षा समाप्ति पश्चात बाह्य परीक्षक के संस्तुति के आधार पर जारी पी–एच.डी अधिसूचना की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार एवं ऑनलाईन हुए मौखिक परीक्षा की सूचना तथा परिस्थिति अनुसार करायी गई ऑनलाईन मौखिक परीक्षा की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2022– 23 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–9 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत 01 प्राध्यापक, 04 अधिकारी एवं 06 कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2024 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–10 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई तथा विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों के अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधित कर्मचारियों के PRAN खाता में शीघ्र जमा किया जाये।

विषय क्रमांक–11 (विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का प्रस्ताव)

संबंधित फर्म द्वारा परीक्षा/गोपनीय कार्यों का प्राप्त 07 देयकों का GST सहित राशि रू. 49,13,034/– (उनचास लाख तेरह हजार चौतीस रूपये मात्र) भुगतान करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–12 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

धरमपुरा नवीन परिसर स्थित तीनों शैक्षणिक भवनों के लिए डीजल जनरेटर क्रय करने पर विचार।

निर्णयः बजट प्रावधान अनुसार भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय करने स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–13 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022–23 का निविदा के स्वीकृत दर अनुसार मुद्रण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं जी.एस.टी. सहित राशि रू. 4,92,300/– (चार लाख ब्यानबे हजार तीन सौ रूपये मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–14 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

निविदा की स्वीकृत दर अनुसार नस्ती पुस्तिका मुद्रण एवं जी.एस.टी. सहित राशि रू. 3,20,000/– (तीन लाख बीस हजार रूपये मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–15 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

सी.एस.आई.डी.सी./ई–मानक के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के लिए वॉटर प्यूरीफायर एवं वॉटर कूलर क्रय किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति एवं जी.एस.टी. सहित राशि रू. 6,73,217/– (छः लाख तिहत्तर हजार दो सौ सत्रह रूपये मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से वॉटर प्यूरीफायर एवं वॉटर कूलर क्रय क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–16 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

सी.एस.आई.डी.सी./ई–मानक के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के लिए अग्निशमन यंत्रों को क्रय किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति एवं जी.एस.टी. सहित राशि रू. 4,38,033/– (चार लाख अड़तीस हजार तैंतीस रूपये मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अग्निशमन यंत्रों क्रय क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–17 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

03 लाख मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं 02 लाख पूरक उत्तरपुस्तिका मुद्रणादेश जारी किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति एवं समस्त कर सहित राशि रू. 35,53,920/– (पैंतीस लाख तिरपन हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से 03 लाख मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं 02 लाख पूरक उत्तरपुस्तिका हेतु जारी मुद्रणादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए देयक प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–18 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर की राशि रू. 26,27,625/– (छब्बीस लाख सत्ताईस हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र) किये गये भुगतान की सूचना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–19 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9 के सरल क्रमांक (तीन) एवं नियम 13 के उपनियम (1) में संशोधन को लागू करने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–20 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु क्रय किये गये पुस्तकों का भुगतान राशि रू. 50,00,088/– (पचास लाख अठ्यासी रूपये मात्र) संबंधित फर्म को किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–21 (विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु विगत वर्ष की भॉति वर्ष 2024 में भी पत्रिकाओं/शोध पत्रिकाओं को नये/नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रू. 3,60,464/– की स्वीकृति प्रदाय करने पर विचार।

निर्णयः बजट प्रावधान अनुसार तथा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए पत्रिकाओं/शोध पत्रिकाओं को नये/नवीनीकरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–22 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 17–07/2023/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.09.2023, एफ 17–11/2023/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.08.2023, एफ 17–15/2023/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.09.2023, एफ 17–13/2023/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.09.2023 एवं एफ 17–16/2023/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.09.2023 के अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर से संबद्ध निम्नानुसार महाविद्यालयों का नवीन नामकरण किया गया है:–

01. शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण के स्थान पर हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय, कटेकल्याण, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
02. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बस्तर के स्थान पर मॉ गंगादई शासकीय महाविद्यालय, बस्तर, जिला बस्तर
03. शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय, नारायणपुर के स्थान पर वीरांगना रमोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय, नारायणपुर
04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, भैरमगढ़ के स्थान पर धुर्वाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़, जिला–बीजापुर
05. शासकीय नवीन महाविद्यालय, आवापल्ली, जिला–बीजापुर के स्थान पर वीर नांगूल दोरला शासकीय महाविद्यालय, आवापल्ली, जिला–बीजापुर

उक्त नवीन नामकरण के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–23 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

पूरक परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के कुल देयक राशि रू. 23,78,546/– (तेईस लाख अठत्तर हजार पॉच सौ छियालीस मात्र) का भुगतान संबंधित फर्म को किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05.10.2023 के द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 59 रिक्त पदों पर अनुमोदित भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाये जाने पर विचार।

विभागीय टीप :–

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3–8/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.10.2023 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्वीकृत 59 शैक्षणिक पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। उक्तानुसार स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु विवरण निम्नवत है:–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राध्यापक	लेवल–14	10
2	सह प्राध्यापक	लेवल–13A	19
3	सहायक प्राध्यापक	लेवल–10	30
	योग		**59**

इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर के निर्माण हेतु समिति का गठन किया गया। समिति ने छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आरक्षण नियमों क्रमशः छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3148/आर 09/भा.सा./2019/38–2 दिनांक 24.12.2019, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग क्रमांक/524/09/भा.सा./2019/38–2 दिनांक 17.07.2020, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012 से संबंधित अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 289, दिनांक 29.11.2012 तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन क्रमांक एफ 13–14/2009/अ.प्र./1–3 दिनांक 04.12.2012 आदि के आधार पर शैक्षणिक पदों पर भर्ती किये जाने हेतु रोस्टर का निर्माण किया गया। इसके पश्चात रोस्टर के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया गया। तदानुसार माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05.10.2023 के द्वारा रोस्टर एवं विज्ञापन को अनुमोदन प्रदान करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। माननीय कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय ने दिनांक 05.10.2023 को समाचार पत्रों एवं वेबसाईड पर विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन के एक भाग के द्वारा विज्ञापित पदों के आरक्षण अथवा अन्य प्रक्रिया पर दावा आपत्ति मांगी गई। दावा आपत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 14.10.2023 रखी गई तथा निस्तारण की अंतिम तिथि 19.10.2023 निश्चित की गई। दावा आपत्तियों के परीक्षण एवं निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया।

चल रही प्रक्रिया के मध्य विश्वविद्यालय द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि वर्ष 2008 में बी.एड. विभाग को स्वीकृत सेटअप में पदों के वेतनमान में विसंगतियॉ है तथा यह पद विज्ञापन में सम्मिलित है। देखा गया है कि सेटअप में स्वीकृत वेतनमान यू.जी.सी. के द्वारा निर्धारित अध्यापकों की श्रेणी क्रमशः प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक में स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप नहीं है। इन तथ्यों का संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2023 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इसके पश्चात उपरोक्त विसंगतियों को दूर कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन तदनुसार उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने 01 प्राध्यापक, 01 सह प्राध्यापक एवं 04 व्याख्याता के पदों के वेतनमान एवं पदनाम के उन्नयन हेतु प्रस्ताव छ.ग.शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय का मत है कि बी.एड. विभाग के छः पदों के वेतनमान की विसंगतियों के कारण सम्पूर्ण भर्ती को स्थगित रखना उचित नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय में दो विभाग क्रमशः वानिकी एवं वन्यजीव तथा मानवविज्ञान एवं जनजाति अध्ययनशाला को छोड़कर अन्य विभागों के नियमित शिक्षक नहीं है। इसी कारण यू.जी.सी. के द्वारा विश्वविद्यालय को 12(बी) प्रमाण–पत्र नहीं मिल सका है, नेक के द्वारा "सी" ग्रेड ही प्राप्त हो सका है तथा इस कारण विश्वविद्यालय को ग्रांट आदि भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही साथ विभागों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति ना होने के कारण छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने में भी कठिनाई आ रही है।

अतः प्रस्तावित है कि माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अनुमोदित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आगे बढ़ाते हुए दावा आपत्ति पर लिए गए निर्णय को विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर प्रकाशित किया जाये। यदि संशोधन प्रस्तावित होता है तो आवश्यक संशोधन कराते हुए आवेदन पत्र प्राप्त आमंत्रित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाये तथा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराया जाये। परन्तु शासन के द्वारा उन्नयन की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि तक बी.एड. विभाग के उपरोक्त छः पदों पर आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की 49वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अनुमोदित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि दावा आपत्तियों पर विश्वविद्यालय द्वारा लिए गये निर्णयों को विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर प्रकाशित किया जाये। यदि किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है तो संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात आवेदनकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाये तथा अगले चरणों की प्रक्रिया को सम्पन्न कराकर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाये, परन्तु बी.एड. विभाग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय होने के पश्चात ही प्राप्त हुए ऑनलाईन आवेदनों पर कार्यवाही प्रारंभ की जावे। कार्यपरिषद द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथि निर्धारण एवं अन्य निर्णयों के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक–2 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

पूर्व कुलपति डॉ. एन.डी. आर. चन्द्रा से प्राप्त पत्र दिनांक 16.01.2024 के संदर्भ में कुलपति आवास में 24 सितम्बर 2016 से 30 जून 2017 तक रहने की पात्रता प्रदान करते हुए निःशर्त अंतिम वेतन पत्र (एल.पी.सी.) जारी करने पर विचार।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन/विश्वविद्यालय में उपलब्ध नियमों के अनुसार परीक्षण कर आख्या कार्यपरिषद की आगामी बैठक में समस्त दस्तावेजों के साथ पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक–3 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थलों में एल. ई.डी. बोर्ड एवं रोड साईन बोर्ड निविदा के अनुबंधित फर्म "बी. लेक्स प्रिंटिंग, नयापारा, जगदलपुर" से जी. एस. टी. सहित लागत रू. 7,13220=00 (सात लाख, तेरह हजार, दो सौ बीस) मात्र की स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

निविदा में विश्वविद्यालय से स्वीकृत एवं अनुबंधित फर्म "बी. लैक्स प्रिंटिंग, नयापारा, जगदलपुर" को पत्र क्रमांक/580/भण्डार/527/श.म.क.वि.वि./2023–24, जगदलपुर, दिनांक 15/01/2024 प्रेषित करते हुये संलग्न सूची अनुसार रोड साईन बोर्ड एवं एल.ई.डी. ग्लोसाईन बोर्ड का प्राक्कलन दर आमंत्रित किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है –

Road Sign Board -

1. परिसर प्रवेश द्वार के प्रथम मोड़ पर ''प्रशासनिक भवन'' को इंगित करता हुआ। (01 बोर्ड)
2. अकादमिक भवन के बाहर ''अकादमिक भवन'' को इंगित करता हुआ। (01 बोर्ड)
3. अकादमिक भवन के बाहर से कन्या छात्रावास तिराहे में ''कन्या छात्रावास'' अंकित करते हुए। (01 बोर्ड)
4. परिसर के द्वितीय प्रवेश द्वार के बाद कुलसचिव एवं कुलपति भवन के चौराहे में ''कुलपति भवन, कुलसचिव भवन, ट्रांजिट हॉस्टल, आवासीय परिसर'' को इंगित करते हुए। (01 बोर्ड)
5. ''दोनो ट्रांजिट हॉस्टल, तीनो आवासीय परिसर एवं कुलपति भवन'' के मोड़ पर (03 बोर्ड)
6. ग्राम कालीपुर के तीनों शैक्षणिक भवन की ओर जाने हेतु हॉर्टिकल्चर कॉलेज के सामने से प्रारंभ होने वाली सड़क के मोड़ पर ''बी एड. अध्ययनशाला भवन, एम. बी. ए. अध्ययनशाला भवन एवं एम. सी. ए. अध्ययनशाला भवन'' को अंकित करता पता सहित बोर्ड। (01 बोर्ड)
7. ग्राम कालीपुर के तीनों भवन के सामने ''बी एड. अध्ययनशाला भवन, एम. बी. ए. अध्ययनशाला भवन एवं एम. सी. ए. अध्ययनशाला भवन'' को पता सहित अंकित करता बोर्ड। (03 बोर्ड)

LED/Glowsign Board -

1. विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की ओर स्थित द्वितीय प्रवेश द्वार के बाहरी ओर ''शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर'' के पता सहित बोर्ड। (02 बोर्ड)
2. ''कन्या छात्रावास'' भवन के उपर पता अंकित किया हुआ। (01 बोर्ड)
3. ''प्रबंधन अध्यनशाला'' भवन के उपर पता अंकित किया हुआ। (01 बोर्ड)

उक्त फर्म द्वारा उनके पत्र क्रमांक 219/2023-24, दिनांक 01/02/2024 में प्राक्कलन प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार 07 रोड साईन बोर्ड एवं 16 एल.ई.डी. ग्लोसाईन बोर्ड की GST सहित कुल लागत कुल रू. 7,13220=00 (सात लाख, तेरह हजार, दो सौ बीस) मात्र का होगी। कार्यपरिषद की अनुमति होने पर उक्त कार्य करवाया जायेगा। कार्य की सफल समाप्ति के बाद देयक प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। माननीय कार्यपरिषद से स्वीकृति अपेक्षित है।

निर्णय: बजट प्रावधान एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार रोड साईन बोर्ड एवं एल.ई.डी. ग्लोसाईन बोर्ड क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-4 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्ययनशाला हेतु विभिन्न शैक्षणिक पुस्तिकाओं को निविदा के अनुबंधित फर्म ''बी. लेक्स प्रिंटिंग, नयापारा, जगदलपुर'' से जी. एस. टी. सहित लागत रू. 7,28,310=00 (सात लाख, अठाईस हजार, तीन सौ दस) मात्र में कार्य देने पर विचार।

विभागीय टीप :-

निविदा में विश्वविद्यालय से स्वीकृत एवं अनुबंधित फर्म ''बी. लैक्स प्रिंटिंग, नयापारा, जगदलपुर'' को पत्र क्रमांक/596/भण्डार/एस-63/श.म.क.वि.वि./2023-24, जगदलपुर, दिनांक 22/01/2024 प्रेषित करते हुये शिक्षा अध्ययनशाला हेतु विभिन्न पुस्तिकाओं को मुद्रित करवाने हेतु प्राक्कलन दर आमंत्रित किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है –

क्र.	आवश्यक सामग्री का नाम	छात्र संख्या	मांग संख्या
1	Assignment Copy (12 Copy Per Student)	100	1200
2	Test Copy (12 Copy Per Student)	100	1200
3	Psychology Practical Copy (1 Copy Per Student)	100	100
4	Teachers Observation Record (1 Copy Per Student)	100	100
5	Students Observation Record (1 Copy Per Student)	100	100
6	Lesson Plan Copy (1 Copy Per Student)	100	100
7	Case Study (1 Copy Per Student)	100	100

उक्त फर्म द्वारा उनके पत्र क्रमांक 220/2023–24, दिनांक 01/02/2024 में प्राक्कलन प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार इस कार्य हेतु GST सहित कुल लागत कुल रू. 7,28310=00 (सात लाख, अठाईस हजार, तीन सौ दस) मात्र का होगी। कार्यपरिषद की अनुमति होने पर उक्त कार्य करवाया जायेगा। कार्य की सफल समाप्ति के बाद देयक प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। माननीय कार्यपरिषद से स्वीकृति अपेक्षित है।

निर्णयः बजट प्रावधान एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए शिक्षा अध्ययनशाला हेतु विभिन्न पुस्तिकाओं को मुद्रित करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–5 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

सत्र 2023–24 के लिए विश्वविद्यालयीन टीम हेतु गणवेश बाबत् जी. एस. टी. सहित लागत रू. 9,94,035=00 (नौ लाख, चौरान्नवे हजार, पैंतीस) मात्र की कार्योत्तर स्वीकृति एवं देयक प्राप्ति पर भुगतान करने पर विचार।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के टीम ईस्ट जोन/ऑल इंडिया विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में लगातार प्रतिभागिता ले रही है। उनके ट्रेकशूट, जर्सी, जूतों के लिए निविदा में स्वीकृत फर्म ''सन्नी स्पोर्ट्स वर्ल्ड, चांदनी चौक, जगदलपुर'' एवं ''कोमल इंटरप्राईजेस, धरमपुरा, जगदलपुर'' से GST सहित कुल लागत कुल रू. 9,94035=00 (नौ लाख, चौरान्नवे हजार, पैंतीस) मात्र का क्रयादेश प्रेषित किया गया है। जिसका देयक अप्राप्त है। अतः माननीय कार्यपरिषद से कार्योत्तर स्वीकृति एवं देयक प्राप्त होने पर भुगतान की अनुमति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः सर्वसम्मति से विश्वविद्यालयीन टीम हेतु गणवेश क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–6 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

निविदा के स्वीकृत दर पर बॉस्केटबॉल पोल रू. 3,85000=00 (तीन लाख, पच्यासी हजार) क्रय की अनुमति।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय परिसर में बॉस्केटबॉल पोल का अभाव है, खेल गतिविधियों के बढ़ावा हेतु बॉस्केटबॉल पोल की नितांत आवश्यकता है, नेक में भी उक्त मापदंडों का आंकलन किया जाता है। अतः निविदा में स्वीकृत तथा अनुबंधित फर्म ''सन्नी स्पोटर्स वर्ल्ड, चांदनी चौक, जगदलपुर'' को GST सहित कुल लागत कुल रू. 385000=00 (तीन लाख, पच्यासी हजार) मात्र का क्रयादेश प्रेषित करने की स्वीकृति हेतु विषय विचारार्थ प्रस्तुत है। कार्योपरांत देयक प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

निर्णयः सर्वसम्मति से बॉस्केटबॉल पोल क्रय करने हेतु क्रयादेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–7 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

CSIDC/E-Manec से विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों, परिसर में CCTV एवं संबंधित सामग्रियों को स्थापित करने हेतु GST एवं Inspection Charge एवं अन्य चार्ज सहित अधिकतम रू. 23.00 लाख (तेईस लाख) की स्वीकृति पर विचार।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय के ग्राम कालीपुर के समीप स्थित नवीन तीनों शैक्षणिक भवनों कम्प्यूटर अध्ययनशाला भवन, प्रबंधन अध्ययनशाला भवन, शिक्षा अध्ययनशाला भवन में सी.सी.टी.व्ही. की क्षमता वृद्धि किया जाना है। ग्रंथालय, परीक्षा विभाग, कुलपति भवन, अकादमिक भवन, परिसर के दोनो मुख्य प्रवेश द्वार इत्यादि स्थलों में CCTV एवं संबंधित सामग्रियों को CSIDC/E-Manec दर से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय भवनों एवं संपत्तियों की सुरक्षात्मक उपाय हेतु निगरानी आवश्यक है। इस हेतु GST सहित अन्य व्यय की अनुमानित लागत लगभग रू. 23 .00 (तेईस लाख) व्यय होने की संभावना है। केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 15/12/2023 को भी उक्त कार्य CSIDC/E-Manec दर से करवाने की अनुशंसा की गई है। यदि माननीय कार्यपरिषद की अनुमति हो तो संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के बजट प्रावधान के अंतर्गत करवाया जायेगा। जिसकी स्वीकृति बाबत् विषय विचारार्थ प्रस्तुत है। संबंधित कार्यो के बाद फर्मो के देयकों का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

निर्णयः सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य पूर्णतः के पश्चात नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–8 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का पूरक एजेण्डा प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति आदेश में सुधार कर संशोधित वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति आदेश जारी करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत श्री जगदीश राम नाग, सहायक ग्रेड–3 एवं श्रीमती रेणुका सिन्हा, सहायक ग्रेड–3 द्वारा वरिष्ठता सूची/पदोन्नति आदेश में सुधार कर सही पदक्रम अंकित कराने के संबंध प्राप्त आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद की 46वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 में विषय क्रमांक 10 में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति आदेश में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के अनुसार ''जॉच समिति की अनुशंसा के अनुसार संशोधन किये जाने का स्वीकृति प्रदान किया गया है।''

अतः शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.11.2017 में समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में कर्मचारियों के क्रम को वरिष्ठता के आधार पर रखते हुये संशोधित पदोन्नति आदेश जारी करने तथा वर्ष 2017 में दिनांक 11.12.2017 को पदोन्नति आदेश जारी होने के पश्चात् वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2022 तक प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में विश्वविद्यालय में जारी किये गये वरिष्ठता सूची में आवश्यक सुधार करते हुये कार्यरत समस्त कर्मचारियों की संशोधित अनंतिम/अंतिम वरिष्ठता/पदक्रम सूची जारी करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.11.2017 में की गई अनुशंसा प्रतिवेदन में कर्मचारियों के नाम के क्रम को वरिष्ठता के आधार पर रखते हुए पदोन्नति आदेश दिनांक 11.12.2017 में संशोधन किया जाये। वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2022 तक प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में विश्वविद्यालय में जारी किये गये वरिष्ठता सूची में आवश्यक सुधार करते हुये कार्यरत समस्त कर्मचारियों की संशोधित अनंतिम/अंतिम वरिष्ठता/पदक्रम सूची जारी किया जाये। समस्त संशोधन पूर्व में जारी किये गये तिथि से ही प्रभावशील माना जावेगा।

(signature)	Manoj Kr. Srivastava 05.02.2024
कुलसचिव	कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर	शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)	जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)